

30 7  
25

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी को  
आवाज लगाई गई। बार-बार आवाज  
लगाने के बावजूद भी वकील वादी व  
वादी न्यायालय में हाजिर नहीं होने  
पर वादी का वाद अहम हाजरी अहम  
पैरवी में खारिज किया जाता है।  
पत्रावली केवल शुमार होकर नम्बर  
कम होकर वाखिल लपतर हो।

*[Signature]*  
उपखण्ड अधिकारी  
बन्दासमगठ